

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक: 25/2/2019

:: आदेश ::

दी राजस्थाल लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को डिप्टी गवर्नरमेंट कौसिल, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 22,700/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता हैः—

क्रमांक	नाम अधिवक्ता	एनरोलमेन्ट नंबर
1	श्री हरि किशन सैनी	R/1381/2001
2	शैलजा दाधिच	R/166/2010
3	श्री अजय प्रताप सिंह	R/4437/2007
4	श्री भगवत सिंह चौधरी	R/1443/2000
5	श्री शाश्वत पुरोहित	R/1198/2007
6	श्री अभिषेक भण्डारी	R/2148/2004
7	श्री हरि सिंह बारेठ	R/218/1987
8	श्री आदित्य शर्मा	R/3208/2010
9	श्री संदीप शर्मा	R/1059/2013
10	श्री भरत सिंह	R/1930/2004
11	श्री रोहित चौधरी	R/671/2012
12	मोहम्मद अकबर खान	R/2239/2006
13	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	R/1703/2001
14	श्री रमेश कुमावत	R/148/1999
15	श्री सुरेन्द्र कुमार भील	R/2019/2008
16	श्री मुकेश सरथाना	R/408/2003
17	श्री विवेक त्यागी	R/302/2011

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होगे।
- वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- वे महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।

4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
6. उक्त डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी, जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर्मेंट कौसिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

८०

प्रमुख शासन
सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नर्मेंट काउन्सिल/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

25/2/19
(चंद्रल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि